


# नर्मदा

## प्रदूषण नियंत्रण



दृश्य : नर्मदा उद्गम अमरकंटक

### नर्मदा परिचय

भारतवर्ष की प्रातः स्मरणीय पवित्र व पुण्य नदियों में से नर्मदा एक है। उत्तर-दक्षिण भारत को विभाजित करने व मध्य प्रदेश की जीवनरेखा मानी जाने वाली परम पवित्र नदिता है। देश के लोगों की धार्मिक आस्था में प्रमुख स्थान पाने वाली देश की पांच सबसे बड़ी नदी नदियों में से नर्मदा अपने आंचल में बसी आबादी के लिये साक्षात् जीवनदायनी है। म.प्र. के अन्ूपपुर जिले में भेकलपर्वत मालाओं में बसा अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है।



दृश्य : नर्मदा कुम्भ के दौरान स्नान

### नर्मदा : भौगोलिक विधति

उद्गत स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में 22. 67 नॉर्थ अक्षांश एवं 81.75 ईस्ट देशांतर से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर, मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर, महाराष्ट्र-गुजरात में 40 किलोमीटर एवं गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होकर कुल 1312 किलोमीटर क्षेज को पवित्र करते हुये अन्ततः गुजरात राज्य के भड्च 21.63 नॉर्थ अक्षांश एवं 72.60 ईस्ट देशांतर में अरब सागर में समाहित होती हैं।



### नर्मदा जल ग्रहण क्षेज

नर्मदा नदी का कुल जल ग्रहण क्षेज 98796 वर्ग किलोमीटर है जिसमें मध्यप्रदेश का जलग्रहण क्षेज 85149 वर्ग किलोमीटर व प्राप्त जल राशि 18.25 एमएएफ है। उक्त नदी के किनारे मुख्य रूप से कोरक,



बाबेला, गोंड, भील, भिलावा, बैगा जन-जातियाँ निवास करती थीं।

### ➔ नर्मदा सहायक नदियाँ

नर्मदा की 1312 किलोमीटर की बहाव यात्रा में 500 वर्ग किमी से अधिक जल ग्रहण क्षेत्रवाली 41 सहायक नदियाँ मिलती हैं। इनमें से दायें तट पर मिलने वाली 19 सहायक नदियाँ में शिल्पी, बलई, गौर, हिरन, निरंग, तेन्दोनी, वारना, जामनेर, कोलार, सिप, उरी, हथनी, चनकेशर, स्वारी, कनार, चौरल, कारम, मान आदि नदियाँ हैं। इसी प्रकार बायें तट पर मिलने वाली 22 सहायक नदियाँ में स्वारभेर, दूधी, छेटा तवा, बुढनेर, सुरवरी, कावेरी, बजर, तवा, स्वरकिया, तोगूर, हाथेर, कुण्डी, सोनेर, गंजाल, बीराड, शेर, अजनाल, डेब, शककर, मरवक, गोई नदियाँ हैं।

### ➔ केचमेंट में आने वाले जिले

नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 24 जिले हैं जिनमें अंबूपपुर, शहडोल, डिण्डौर, भण्डला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिन्दवाडा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, स्वण्डवा, स्वरगौन, देवास, बड़वानी, इन्दौर, धार झाबुआ, अलीराजपुर हैं।

### ➔ विभिन्न परियोजनायें

नर्मदा नदी पर प्रदेश में 29 बड़ी 135 मध्यम एवं 3000 लघु सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन संबंधी परियोजनायें या तो क्रियान्वित की जा रही हैं अथवा प्रस्तावित हैं।



सभी योजनाओं को पूर्ण होने पर इनसे कुल 2762 मेगावाट विद्युत उत्पादन एवं 13.9735 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।



दृश्य : ओजारेखर लयडल प्रोजेक्ट

### ➔ प्रदूषण के कारक - घरेलू

नर्मदा नदी अथवा मुख्य सहायक नदी की जल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रदूषणकारी तत्वों में नगरीय निकासों का



क्वार्टीघाट ब्रिज के पास साह नाला, जबलपुर

घरेलू जल-मल, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पोलिथिन, पूजा निरमाल्य, मृत्यु उपरांत कर्मकाण्ड का कचरा, मुण्डन, मूर्ती विनाशिन, घाट स्नान, वाहन सफाई, ऑर्गेनिक अपशिष्ट (पेड-पौधे-पत्ते अन्य तनों से उत्पन्न ऑर्गेनिक कचरा) इत्यादि के साथ-साथ कृषि के उपयोग उपरांत अपशेष के रूप में रासायनिक ऊवरेकों व कीटनाशकों को माना जा सकता है।

### ➔ प्रदूषण के कारक - औद्योगिक

नर्मदा नदी में औद्योगिक निष्ठाव से जल प्रदूषण की संभावना को परिप्रेक्ष्य में लिन उद्योगों से नर्मदा नदी अथवा उसकी प्रमुख

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



सहायक नदी को माध्यम से नदी जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना हो सकती है उन प्रमुख जल प्रदूषण प्रकृति को उद्योगों में निचयोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, ट्राईडेन्ट लि०, बुधनी, वर्द्धमान थान, बुधनी, एसोसिएटेड डिस्टलरी, बडवाहा, अग्रवाल डिस्टलरी, ग्राम खोडी, सेन्चुरी टेक्स्टाईलस एवं मराल ओवरसीज लि० आदि को माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी तवा में उपचार उपरांत दो उद्योगों का निस्स्राव मिलता है जिनमें सतपुडा धर्मल पावर स्टेशन, सारणी, ओडीनेस फौद्री, इटारसी आदि हैं।



### औद्योगिक निस्स्राव के टक्सरी ट्रीटमेंट हेतु रिवर्स ऑस्मोसिस प्लान्ट

बोर्ड के प्रयासों से निचयोरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, सतपुडा धर्मल पावर स्टेशन सारणी, ओडीनेस फौद्री इटारसी से बैंक गारन्टी लेकर ईटीपी में उन्नयन व उपचार उपरांत फौद्री परिवार को भीतर सम्पूर्ण निस्स्राव को उपयोग को बन्धानकारी निर्देश जल अधिनियम की धारा ३३ क के अन्तर्गत दिये गये हैं। अग्रवाल डिस्टलरीस ग्राम खोडी से बैंक गारन्टी लेकर प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के उपचार उपरांत टक्सरी लेबल ट्रीटमेंट के लिये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस व मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर लगाने को निर्देश दिये गये हैं। जिन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्यवस्था में सुधार करना लिया गया है उनमें एसोसिएटेड डिस्टलरी, बडवाहा में

प्राथमिक व द्वितीयक स्तर के उपचार उपरांत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेनो फिल्ट्रेशन व रिवर्स ऑस्मोसिस प्लान्ट की स्थापना करना ली गई है तथा मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर लगाने जाने का कार्य प्रगति पर है। सेन्चुरी डेनिम नामक कपडा उद्योग में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लान्ट की स्थापना करना ली गई है।

### नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास

मध्य प्रदेश शासन नर्मदा नदी की अखण्डता को बनाये रखने के लिये गम्भीर है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग को नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिये योजना बनाने का दायित्व विभागीय समीक्षा की 19 अक्टूबर 2011 की बैठक में सौंपा गया है। निर्देशों के अनुपालन में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण की योजना का प्राथमिक स्वरूप तैयार किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेख करना सामयिक होगा कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से भी नर्मदा नदी के प्रदूषण को शमन का कार्य गत एक वर्ष से हाथ में ले लिया गया है। नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के अभिप्राय से कार्ययोजना को दो चरणों में बांटा गया है। प्रथमचरण में ऐसे कार्यों को लिया गया है जो शॉर्ट टर्म प्लान के अन्तर्गत आते हैं व द्वितीय चरण में दीर्घकालीन योजनाओं को शामिल किया जायेगा।

### प्रथम चरण के प्रयास

इन प्रयासों के अन्तर्गत ऐसे कार्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लघु अवधि में पूर्ण कर नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता में त्वरित सुधार करना है। नर्मदा नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण घरेलू जल-मल है। यदि घरेलू जल-मल का वांछित उपचार कर उपचार उपरांत उचित उपयोग किया जाये तो नदी जल की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार परिलक्षित हो सकेगा। इन परिप्रेक्ष्य

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



में नर्मदा नदी/उनकी प्रमुख सहायक नदियों के किनारे बसे ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या दस हजार है अथवा धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं के आने से जनसंख्या दस हजार से अधिक हो जाती है, के कारण घरेलू जल-मल के प्रदूषण की समस्या रहती है। इन नगरों से निकलने वाले सीवेज की अनुमानित मात्रा गणना के संदर्भों सहित निम्न तालिकाबुझान होगी :



**दृश्य: सेवनी घाट होशंगाबाद**

नगर	जन-संख्या	जल खपत (150 लिटर प्रति व्यक्ति)	सीवेज (खपत का 80 प्रतिशत)	सीवेज (एमएलडी)
अमरकंटक	7074	1061100	848880	0.84888
डिण्डोरी	94565	14184750	1134780 0	11.3478
मंडला	45907	6886050	5508840	5.50884
बरगी	17588	2638200	2110560	2.11056
जबलपुर	932,48 4	139872600	1118980 80	111.89808
गोटेगांव	23417	3512550	2810040	2.81004
गाडरवारा	37837	5675550	4540440	4.54044
पिपरिया	41307	6196050	4956840	4.95684
नरसिंगपुर	56231	8434650	6747720	6.74772
बाबई	14591	2188650	1750920	1.75092
होशंगाबाद	97357	14603550	1168284 0	11.68284
करेली बरमानघाट	25035	3755250	3004200	3.0042
हरदा	61712	9256800	7405440	7.40544
बडवाहा	24914	3737100	2989680	2.98968
बडवानी	73222	10983300	8786640	8.78664
ओंकारेश्वर	6616	992400	793920	0.79392
महेश्वर	30000	4500000	3600000	3.6
मंडलेश्वर	11345	1701750	1361400	1.3614

ऐसे सभी नगरों के जल-मल का इन्टररोपेशन-डायवर्सिब व शोधन से संबंधी योजनाओं से संबंधित प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाना है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव व एस्टीमेट की स्वीकृति के उपरांत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सभी इन्जीनियरिंग आंकड़ों के साथ तैयार की जा सकेगी जिसके आधार पर कार्ययोजना को हाथ में लिया जा सकेगा। प्राथमिक तौर पर यथा सम्भव जिन घाटों पर छोटे स्तर पर सीवेज की नालियाँ नर्मदा में मिल रही हैं उन्हें तुरन्त डायवर्ट कराने हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जायेगा।

इसी प्रकार औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिये प्रथम चरण में उद्योगों का निरीक्षण/सर्वेक्षण कर निशाव को अधिनियम में प्रावधानित स्तर तक उपचार से भी आगे जाकर और उच्च स्तर तक उपचारित कराने का प्रयास किया जा सकेगा ताकि उद्योग में शून्य निशाव लागू करने के लिये उपचारित निशाव के उपयोग की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। उद्योगों के विरुद्ध यथासम्भव प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लंघन के लिये कार्यवाही की जायेगी।

नर्मदा नदी को प्रदूषित करने वाले स्रोतों को माईक्रोलेवल तक समझने के लिये सतत इन्वेंटराईजेशन का कार्य म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर पर जारी रखा जायेगा।

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**



## → प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही :

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ० एन.पी.शुक्ला द्वारा साप्ताहिक समीक्षा के दौरान नर्मदा नदी के पर्यावरण उन्नयन पर चिंता जताते हुये बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठक आयोजित कर इस विषय की रूपरेखा एवं रणनीति तैयार करने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम मई 2011 में नर्मदा शमन समिति का निम्नानुसार गठन किया गया :

क्र	नाम	पद
1	श्री आर.के. श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री	अध्यक्ष
2	श्री हेमन्त शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी धार	सदस्य
3	श्री आलोक सिंघई, क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल	सदस्य
4	श्री आलोक जैन, कार्यपालन यंत्री,	सदस्य
5	डॉ० अभय रावरोना, मुख्य रसायनज्ञ	सदस्य
6	श्री पी.एस.बुन्देला, क्षेत्रीय अधिकारी, जबलपुर	सदस्य
7	श्री एम.के.मण्डनाई, क्षेत्रीय अधिकारी, शाहडोल	सदस्य
8	डॉ० आलोक रावरोना, वैज्ञानिक,	सदस्य
9	श्री ए. ए. मिश्रा,	संयोजक

## क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर

अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में नर्मदा शमन समिति द्वारा नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिये उपलब्ध संसाधनों में योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया। योजना को लघु एवं दीर्घकालिक वर्गों में बांटते हुये स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

नर्मदा शमन समिति ने नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिये योजना को निम्नलिखित स्वरूप देना प्रस्तावित किया है :

- नर्मदा नदी का निरीक्षण/सर्वेक्षण कर पर्यावरणीय प्रदूषण का चिन्हीकरण करना।
- बोर्ड द्वारा नर्मदा के 21 बिन्दुओं पर की जा रही जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग के परिणामों की समीक्षा व नये जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग बिन्दुओं की आवश्यकता पर प्रस्ताव बनाकर लागू करना।
- नर्मदा के किनारे स्थापित नगरों से होने वाले जल-मल व नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रदूषण का चिन्हीकरण व प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव बनाना।
- नर्मदा के किनारे उत्पादनरत जल प्रदूषणकारी उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का पूर्वांकलन व आवश्यकतानुसार उन्नयन का प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही करना।
- नर्मदा के किनारे कृषकों द्वारा उपयोग किये जा रहे रसायनिक ऊवसकों व कीटनाशकों के प्रदूषण की संभावना का आंकलन व सुधार हेतु सुझाव।
- नर्मदा नदी के किनारे रेत खनन से प्रदूषण की संभावनाओं का आंकलन व सुधार हेतु सुझाव।
- नर्मदा नदी के किनारे धार्मिक आयोजनों के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण की संभावनाओं का आंकलन व विशेषकर पूजा निरमाल्य विसर्जन, अग्नि विसर्जन, शवदहन तथा स्नान/वस्त्र/ वाहन सफाई हेतु सुधार के प्रस्ताव बनाना।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



- लघु कालिक योजनाओं को अन्तर्गत नर्मदा के प्रमुख घाटों का पर्यावरणीय सुधार ।
- पर्यावरणीय अधिनियम को नर्मदा जल ग्रहण क्षेत्र में सख्ती से लागू करवाना व नर्मदा नदी में भूति विखर्जन को लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिशा-निर्देशों का पालन कराना ।
- नर्मदा नदी के पर्यावरण के सुधार की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व संबंधित शासकीय विभागों, अशासकीय संगठनों, नगरीय निकायों, उद्योग प्रतिनिधियों आदि के साथ कार्यशाला का आयोजन कर नीति निर्धारित करना व पीएफआर तैयार करना ।

### → प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही :

#### प्रथम प्रयास

बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का २१ बिन्दुओं पर मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है । गत ३ वर्षों के परिणामों के अनुसार जल गुणवत्ता की स्थिति आईएस २२९६ जो कि नदी जल को डेजिगनेटेड उपयोग के आधार पर श्रेणीवार रूप में निम्नानुसार आंकलित की गई :

क	जल गुणवत्ता मापन बिन्दु	8-	09-	10-
		9	10	11
1.	उद्गम स्थल, अमरकंटक, शहडोल ।	बी	ए	ए
2.	डिण्डोरी शहरी दूषित जल मिलने के पहले, शहडोल	ए	ए	बी
3.	डिण्डोरी शहरी दूषित जल मिलने के बाद, शहडोल	ए	ए	सी
4.	जमतार, रेल्वे ब्रिज के पास, जबलपुर ।	ए	बी	ए
5.	पंचवटी घाट बावनगंगा नदी मिलने के पहले,	ए	ए	ए

	जबलपुर ।			
6.	सरस्वती घाट बावनगंगा नदी मिलने के बाद, जबल	ए	ए	ए
7.	लालपुर जल प्रदाय केन्द्र के पास, जबलपुर ।	ए	बी	बी
8.	तिलवाराघाट, स्नानघाट के पास, जबलपुर ।	ए	बी	ए
9.	शमशानघाट के पास, मण्डला ।	ए	बी	ए
10.	बरमानघाट से 100 मी. के बाद, नरसिंहपुर ।	ए	बी	ए
11.	शाहगंज अप स्ट्रीम, गेस्ट हाउस के पास, होशंगाबाद ।	ए	बी	बी
12.	कोरी घाट के पास, होशंगाबाद ।		बी	बी
13.	सेठानीघाट के पास, होशंगाबाद ।		सी	बी
14.	एस.पी.एम. नाला मिलने के 100 मी. बाद, होशंगाबाद ।		बी	सी
15.	अप स्ट्रीम, जल प्रदाय पम्पिंग स्टेशन, मण्डलेश्वर	ए	बी	बी
16.	डाऊन स्ट्रीम, महेश्वर ।	ए	बी	बी
17.	डाऊन स्ट्रीम, ओम्कारेश्वर	ए	बी	बी
18.	राजघाट, बडवानी ।	ए	बी	बी
19.	मोरटक्का ब्रिज, बडवाहा ।	ए	ए	बी
20.	पुनासा डेम, पुनासा ।	-	बी	बी
21.	जल प्रदाय केन्द्र के पास, नेमावर, देवास ।	ए	ए	ए

#### द्वितीय प्रयास

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोषित नर्मदा नदी की बायीं मॉनीटरिंग का कार्य बोर्ड द्वारा वर्ष २००९-१०, २०१०-११ में राशि रूपये २२.५० लाख की लागत से किया गया। जिस पर रिपोर्ट प्रकाशित कर वितरित की गई। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक दल द्वारा ३० बिन्दुओं पर फिजियो केमिकल एवं बायीं मॉनीटरिंग का कार्य किया गया जिसमें मेक्रो इनवर्टेड ब्रेट की प्रजातियों को चिन्हित किया गया। बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में निष्कर्ष ववालिटी इन्डेक्स को रूप में दिया गया है जिसमें नदी जल की गुणवत्ता ए से डी श्रेणी को अन्तर्गत पाई गई। नदी में ई कोटेगरी अर्थात् अत्यधिक प्रदूषण नहीं पाया गया तथापि मोडरेट पोल्यूशन की स्थिति पाई गई।

नर्मदा जैली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा हाल ही में नर्मदा नदी की बायीं मॉनीटरिंग के लिये स्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित संस्थाओं से टेण्डर मंगाये गये हैं। ऐसी चिन्हित संस्था के माध्यम से नर्मदा नदी की बायीं मॉनीटरिंग कर जल गुणवत्ता पर सतत निगरानी की व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

### तृतीय प्रयास

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वयं को बजट से वर्ष २०११-१२ में राशि रूपये ६.०० लाख बोर्ड को नर्मदा नदी से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों क्रमशः शहजोल, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, धार एवं उज्जैन को आवंटित किये गये। इस राशि से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जन-जागृति हेतु नदी तट पर होर्डिंग, वाल रायटिंग, ब्रौशर इत्यादि के माध्यम से नदी के पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित जानकारी व नदी को प्रदूषित करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी प्रचारित की गई। अभी तक अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके

नागर घाट पर सीटी के पास पिलरों पर प्रदर्शित बलेन



### औकारेश्वर घाट पर वाल रायटिंग

अधिकतर क्षेत्र में आने वाले घाटों पर ऐसी व्यवस्था पूर्ण करना ली गई है। कुछ कार्यशेष है जो ३१ मार्च २०१२ तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

### चतुर्थ प्रयास

बोर्ड को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा अमरकंटक, मण्डला, भेडाघाट, होशंगाबाद, औकारेश्वर आदि में विशेष पर्वों के दौरान जन-जागृति के लिये स्वयं को बजट से प्रदर्शनी, प्रचार हेतु साहित्य वितरण के साथ-साथ नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का मापन किया जाता है। इन कार्यक्रमों को भीडिया के माध्यम से जन-सामान्य तक पहुंचाने हेतु भी बोर्ड प्रयत्नरत है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

